

**न्यायालय :- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर के अतिरिक्त
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
(पीठासीन अधिकारी:-सिराज अली)**

व्यवहार वाद क्रमांक-01 ब/2014

संस्थापन दिनांक-21.02.2014

फाईलिंग क्र.234503004352013

मोहम्मद हुसैन पिता मोहम्मद गुलाब, उम्र-35 वर्ष, जाति मुसलमान
निवासी-रेंज ऑफिस चौक उकवा, तहसील परसवाड़ा
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — वादी

विरुद्ध

धनबहादुर सिंह पिता भैयालाल, उम्र-45 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम नारंगी, तहसील बैहर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — प्रतिवादी

-: / / निर्णय / / :-

(आज दिनांक-21/01/2016 को घोषित)

- 1- वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध यह व्यवहार वाद इकरारनामा दिनांक-03.09.2012 के अनुसार मकान का ठाठ मटेरियल की राशि 30,000/-रुपये वापस दिलाए जाने हेतु प्रस्तुत किया है।
- 2- प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं है।
- 3- वादी के अभिवचन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी की होटल रेंज ऑफिस उकवा में स्थित है, जिसके सामने शासकीय भूमि पर प्रतिवादी के कब्जे का मकान का रॉ मटेरियल को सौंपने का उभयपक्ष के मध्य सौदा हुआ था। वादी द्वारा दिनांक-02.09.2012 को उक्त मकान के ठाठ रॉ मटेरियल का 30,000/- रुपये में सौदा होकर दिनांक-03.09.2012 को गवाहों के समक्ष वादी ने राशि 30,000/-रुपये प्रतिवादी को दिया था। उक्त इकरारनामे के अनुसार प्रतिवादी के कब्जे की भूमि पर रखे रॉ मटेरियल को वादी द्वारा अपने कब्जे में लेना चाहा तो दिनांक-25.12.2012 को पुलिस चौकी उकवा द्वारा मना करने से

वादी उक्त राँ मटेरियल का कब्जा प्राप्त नहीं कर पाया। प्रतिवादी को उक्त इकरानामा के अनुसार मकान का राँ मटेरियल का कब्जा प्राप्त न होने से वादी के द्वारा प्रतिवादी को 30,000/-रूपये वापस प्राप्त करने हेतु सूचनापत्र दिनांक-10.06.2013 प्रेषित किया गया। उक्त सूचना के बाद भी प्रतिवादी के द्वारा वादी को राशि अदा नहीं की गई है। वादी ने प्रतिवादी से इकरारनामा के अनुसार मकान का ठाढ मटेरियल की राशि 30,000/- वापस दिलाए जाने हेतु अनुतोष चाहा है।

4— प्रतिवादी ने लिखित कथन में वादपत्र के संपूर्ण अभिवचन से इंकार करते हुए अभिवचन किया है कि प्रतिवादी ने राजस्व शासकीय मद की भूमि पर मकान बनाकर कब्जा किया था और उक्त भूमि पर बने मकान का मलबा बेचने का सौदा 30,000/-रूपये में वादी से हुआ था। वादी ने उक्त सौदे के अनुसार मात्र 15,000/-रूपये उसे देकर एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करा लिये थे, जिसके पश्चात् उसके द्वारा मकान का मलबा वादी को सौंप दिया गया था। वादी ने उक्त सौदे के अनुसार शेष राशि मांगने पर भी अदा नहीं की। वादी को प्रतिवादी ने सौदा अनुसार मकान का मलबा सौंप दिया है तथा मलबा सौंपने के पश्चात् पूर्व में जो इकरारनामा लिखा गया था, उसका दूसरा पृष्ठ बदलकर नई इबारत लिखते हुए शर्त का लेख कर वादी ने झूठा दस्तावेज तैयार कर लिया। वादी उक्त अवैध इकरारनामा की पूर्ति कराने का हकदार नहीं है। अतएव वादी का वाद सव्यय निरस्त किया जावे।

5— उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये गये, जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष निम्नानुसार अंकित है :-

क्रं.	वाद-प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या पक्षकारगण के मध्य इकरारनामा दिनांक-03.09.2012 का विधिवत् निष्पादन हुआ था ?	प्रमाणित नहीं
2	क्या उक्त इकरारनामा के अनुसार वादी ने प्रतिवादी को 30,000/-रूपये नगद राशि अदा की थी ?	प्रमाणित नहीं

3	क्या उक्त इकरारनामा के अनुसार शर्त का उल्लंघन होने के आधार पर वादी को प्रतिवादी से 30,000/-रूपये राशि वापस प्राप्त करने का अधिकार है ?	प्रमाणित नहीं
4	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की अंतिम कंडिका अनुसार

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

वादप्रश्न क्रमांक-1 से 3 का निराकरण

6— सुविधा की दृष्टि से उक्त वादप्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है, ताकि तथ्यों की पुनरावृत्ति न हो। यह साबित करने का भार वादी पर है कि पक्षकारगण के मध्य इकरारनामा दिनांक-03.09.2012 का विधिवत् निष्पादन हुआ था तथा उक्त इकरारनामा के अनुसार वादी ने प्रतिवादी को 30,000/-रूपये नगद राशि अदा की थी।

7— वादी ने अपने समर्थन में स्वयं मोहम्मद हुसैन (वा.सा.1), शेख आरिफ (वा.सा.2) एवं नैनसिंह (वा.सा.3) के कथन कराए हैं। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में इकरारनामा दिनांक-03.09.2012 प्रदर्श पी-1 पेश किया है, जिस पर उसके स्वयं के हस्ताक्षर होने के संबंध में कथन नहीं किये हैं न ही हस्ताक्षर को विशिष्ट भाग में अंकित होना बताया है। इसके अलावा उक्त दस्तावेज पर प्रतिवादी के हस्ताक्षर होने के तथ्य को भी प्रमाणित नहीं किया गया है।

8— वादी के द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेज दिनांक-03.09.2012 को निष्पादित किया जाना बताया है, जबकि उक्त दस्तावेज जिस स्टाम्प पर लेख किया गया है, उक्त स्टाम्प पर दिनांक-03.11.2012 दर्ज है। इस संबंध में प्रतिवादी पक्ष की ओर से वादी मोहम्मद हुसैन (वा.सा.1) के प्रतिपरीक्षण में चुनौती दिए जाने पर उसने इकरारनामा का स्टाम्प दिनांक-03.11.2012 को खरीदे जाने की जानकारी न होना बताया है। प्रतिवादी की ओर से चुनौती दिए जाने पर साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्टाम्प दिनांक-03.11.2012 को कय किया जाने

और उस पर भूतकाल की तिथि अर्थात् दिनांक-03.09.2012 को इकरारनामा निष्पादित किये जाने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण पेश नहीं किया है।

9— वादी मो. हुसैन (वा.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने जो इकरारनामा लिखा था वह भूमि के मलबे के बारे में लिखा गया था और उस भूमि पर प्रतिवादी नहीं रहता है। साक्षी का स्वतः कथन है कि उक्त भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा है। वादी की ओर से प्रस्तुत साक्षी शेख आरिफ (वा.सा.2) ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि इकरारनामा दिनांक-03.09.2012 को लिखा गया है और स्टाम्प कर करने की दिनांक-03.11.2012 लेख है, जिससे यह प्रकट होता है कि इकरारनामा लिखने के पश्चात् दो माह बाद स्टाम्प पेपर कर किया गया है। इस प्रकार इस साक्षी के इकरारनामा प्रदर्श पी-1 पर बतौर गवाह के रूप में हस्ताक्षर होना प्रकट होते हैं, किन्तु उक्त इकरारनामा की उपरोक्त संदेहास्पद परिस्थितियां को साक्षी के द्वारा स्वीकार करते हुए उसका स्पष्टीकरण पेश नहीं किया है, जिस कारण इकरारनामा प्रदर्श पी-1 को विधिवत् निष्पादित किया जाना संदेहास्पद प्रकट होता है।

10— साक्षी शेख आरिफ (वा.सा.2) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 4 में यह स्वीकार किया कि जिस समय मटेरियल विक्रय की बातचीत हुई थी, उस समय प्रतिवादी द्वारा उक्त मटेरियल का कब्जा वादी को सौंप दिया गया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि विवादित भूमि पर सौदा के पश्चात् कभी भी बहादुर उक्त भूमि पर नहीं गया तथा उक्त भूमि पर वादी का ही कब्जा है। इसी प्रकार वादी के अन्य साक्षी नैनसिंह (वा.सा.3) ने भी इकरारनामा प्रदर्श पी-1 के बतौर गवाह के रूप में कथन किया है तथा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि सौदे के पश्चात् प्रतिवादी ने भूमि पर ठाठ का कब्जा वादी को सौंप दिया था। साक्षी का यह भी कथन है कि लिखा-पढ़ी के समय वादी ने प्रतिवादी को 15,000/-रूपये दिया था और बाकी 15,000/-रूपये बाद में देने को कहा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि लिखा-पढ़ी करते में यह बात नहीं हुई थी कि बाद में किसी प्रकार का विवाद होगा तो प्रतिवादी उसके लिए जिम्मेदार रहेगा। इस प्रकार साक्षी ने इकरारनामा प्रदर्श पी-1 की इबारत से भी इंकार किया है।

11— प्रतिवादी बहादुर सिंह (प्र.सा.1) ने अपने अभिवचन के अनुरूप मुख्यपरीक्षण में इकरारनामा प्रदर्श पी-1 में फेरफार किये जाने के कथन किये हैं तथा प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का वादी पक्ष की ओर से खण्डन नहीं किया गया है। साक्षी के इकरारनामा प्रदर्श पी-1 के विशिष्ट भाग पर हस्ताक्षर होने को भी वादी पक्ष की ओर से अंकित नहीं कराया गया है।

12— प्रकरण में प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य से यह अधिसंभावना प्रकट होती है कि वादी ने प्रतिवादी से मकान का ठाठ अर्थात् रॉ मटेरियल को विक्रय करने का सौदा किया था। यद्यपि उक्त सौदा इकरारनामा प्रदर्श पी-1 की निष्पादन की तिथि और उसके दो माह पश्चात् उक्त इकरारनामा के स्टाम्प की क्रय की जाने की तिथि लेख होने और पक्षकारगण का उस पर हस्ताक्षर अंकित होने का तथ्य प्रमाणित न होने से इकरारनामा प्रदर्श पी-1 विधिवत् निष्पादित होना संदेहास्पद प्रकट होता है। प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से यह भी अधिसंभावना प्रकट होती है कि सौदा के समय ही वादी ने प्रतिवादी से मकान का रॉ मटेरियल का कब्जा प्राप्त कर लिया था और सौदे की राशि में से मात्र 15,000/-रूपये प्रतिवादी को अदा किया था। उक्त सौदे की किसी शर्त का प्रतिवादी की ओर से उल्लंघन किया जाना प्रकट नहीं होता है। इकरारनामा दिनांक-03.09.2012 प्रदर्श पी-1 के अवलोकन से ही यह प्रकट होता है कि उसे उक्त इकरारनामा तिथि के पश्चात् क्रय किये गए स्टाम्प पर लेख कराया गया है। इस प्रकार वादी ने यह तथ्य प्रमाणित नहीं किया है कि पक्षकारगण के मध्य इकरारनामा दिनांक-03.09.2012 का विधिवत् निष्पादन होकर वादी ने प्रतिवादी को 30,000/-रूपये नगद राशि अदा की थी। इस प्रकार वादप्रश्न क्रमांक-1 से 3 "प्रमाणित नहीं" के रूप में निराकृत किये जाते हैं।

सहायता एवं व्यय

13— वादी ने अपना वाद प्रमाणित नहीं किया है। अतएव वादी का वाद निरस्त कर वाद में निम्नानुसार आज्ञाप्ति वादी ने पारित की जाती है :-

(1) वादी का दावा निरस्त किया जाता है।

(2) वादी स्वयं के साथ प्रतिवादी का भी वाद व्यय वहन करेगा तथा अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय होगी।

उपरोक्तानुसार आज्ञाप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
बैहर

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
बैहर

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)